अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

मुन्नीदेवी आदि बनाम **परमेश्वरी आदि**

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 130/2015 **निर्णय दिनांक– 28.06.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादीगण का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर आराजी खसरा सं. 86/1/1 रकबा 1.76 हैक्टेयर वाके ग्राम खेड़ी ढूकिया, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. मोहनसिंह पुत्र भानसिंह जाति जाट सा. देह	86/1/1 मि.	0.11 हैक्टेयर	बा. 1	0.54
2. बलबीर नेमीचन्द पि. गोमाराम जाति जाट सा. देह	86/1/1 मि.	0.02 हैक्टेयर	बा. 1	0.10
3. पन्नाराम पुत्र त्रिलोकाराम जाति कुमावत सा. बगड़ी	86/1/1 मि.	0.13 हैक्टेयर	बा. 1	0.64
4. सुरेश कुमार वुत्र मांगीलाल जाति कुमावत सा. बगड़ी	86/1/1 मि.	0.36 हैक्टेयर	बा. 1	1.78
5. नन्दकिशोर पुत्र किशना जाति कुमावत सा. बगड़ी	86/1/1 मि.	0.14 हैक्टेयर	बा. 1	0.69
6. शिवकुमार पुत्र हेमाराम जाति कुमावत सा. बगड़ी	86/1/1 मि.	0.10 हैक्टेयर	बा. 1	0.49
7. मनफूल बानो पत्नी मुमताज जाति कायमखानी सा. लक्ष्मणगढ़	86/1/1 मि.	0.10 हैक्टेयर	बा. 1	0.49
8. मुन्नीदेवी पत्नी कैलाशचन्द जाति कुमावत सा. कारी तह. नवलगढ़ झुंझुनूं	86/1/1 मि.	0.10 हैक्टेयर	बा. 1	0.49
9. भंवरीदेवी पत्नी बोदूराम जाति कुमावत सा. 507 मालू सेवा सदन के पास सालासर	86/1/1 मि.	0.10 हैक्टेयर	बा. 1	0.49
10. परमेश्वरी पत्नी हरपालसिंह जाति जाट सा. कुमास जाटान	86/1/1 मि.	0.05 हैक्टेयर	बा. 1	0.25
11. सरोज पत्नी रविप्रकाश जाति जाट सा. मानासी	86/1/1 मि.	0.10 हैक्टेयर	बा. 1	0.49
12. श्रीचन्द द.पुत्र ईश्वरराम जाति जाट सा. देह	86/1/1 मि.	0.03 हैक्टेयर	बा. 1	0.15
13. मंगलसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा. देवास तह. फतेहपुर रकबा 0.19 है. मुकेश कुमार पुत्र महादेव जाति जाट सा. देह रकबा 0.23 है.	86/1/1 मि.	0.42 हैक्टेयर	बा. 1	2.09

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.06.2018 को केम्प भूमा बड़ा में जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.06.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प भूमा बड़ा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से वांछित विभाजन प्रस्ताव पूर्व में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/भू.अ./17/1175 दिनांक 15.05.2017 के द्वारा प्राप्त हो चुका है। कैम्प स्थल पर वादीगण सं. 1 ता 4 स्वयं उपस्थित। प्रकरण में प्रति. सं. 7 की तलबी शेष है चूंकि प्रकरण वर्ष 2015 से लम्बित हैं तथा साथ ही प्रकरण दावा महज और महज विभाजन का है। चूंकि विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में उक्त प्रति. सं. 7 का हिस्सा दर्शित है। अतः प्रकरण में प्रति. सं. की तलबी की कोई आवश्यकता नहीं है। में प्रस्तुत वाद का भी अवलोकन किया जिसमें वादीगण ने बंटवारा चाहा है। इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे–आम से भी पूछताछ की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। वादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि पत्रावली पर दिनांक 11.10.2017 को प्रार्थीया भंवरी देवी पत्नि बोदूराम जाति कुमावत निवासी कस्बा सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू द्वारा आवेदन अं. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत हो चुका है जिसका अवलोकन किया। जिसके अनुसार प्रार्थीया द्वारा चाहा गया हिस्सा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट में दर्शित है। अतः प्रार्थीया भंवरी देवी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अं. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी विधिसम्मत व युक्तियुक्त होने से स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रस्तुत विभाजन उपरोक्त अवलोकन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/भू.अ./17/1175 दिनांक 15.05.2017 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा सं. 86/1/1 रकबा 1.76 हैक्टेयर वाके ग्राम खेड़ी ढूकिया, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. मोहनसिंह पुत्र भानसिंह जाति जाट सा. देह	86/1/1 मि.	0.11 हैक्टेयर
2. बलबीर नेमीचन्द पि. गोमाराम जाति जाट सा. देह	86/1/1 मि.	0.02 हैक्टेयर
3. पन्नाराम पुत्र त्रिलोकाराम जाति कुमावत सा. बगड़ी	86/1/1 मि.	0.13 हैक्टेयर
4. सुरेश कुमार वुत्र मांगीलाल जाति कुमावत सा. बगड़ी	86/1/1 मि.	0.36 हैक्टेयर
5. नन्दकिशोर पुत्र किशना जाति कुमावत सा. बगड़ी	86/1/1 मि.	0.14 हैक्टेयर
6. शिवकुमार पुत्र हेमाराम जाति कुमावत सा. बगड़ी	86/1/1 मि.	0.10 हैक्टेयर
7. मनफूल बानो पत्नी मुमताज जाति कायमखानी सा. लक्ष्मणगढ़	86/1/1 मि.	0.10 हैक्टेयर
8. मुन्नीदेवी पत्नी कैलाशचन्द जाति कुमावत सा. कारी तह. नवलगढ़ झुंझुनूं	86/1/1 मि.	0.10 हैक्टेयर
9. भंवरीदेवी पत्नी बोदूराम जाति कुमावत सा. 507 मालू सेवा सदन के पास सालासर	86/1/1 मि.	0.10 हैक्टेयर
10. परमेश्वरी पत्नी हरपालसिंह जाति जाट सा. कुमास जाटान	86/1/1 मि.	0.05 हैक्टेयर
11. सरोज पत्नी रविप्रकाश जाति जाट सा. मानासी	86/1/1 मि.	0.10 हैक्टेयर
12. श्रीचन्द द.पुत्र ईश्वरराम जाति जाट सा. देह	86/1/1 मि.	0.03 हैक्टेयर
13. मंगलसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा. देवास तह. फतेहपुर रकबा 0.19 है. मुकेश कुमार पुत्र महादेव जाति जाट सा. देह रकबा 0.23 है.	86/1/1 मि.	0.42 हैक्टेयर

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– भूमा बड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official